कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2017–18/ दिनांक : 17-11-17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 के नूतन/नवीनीकरण प्रस्तावों का Verification करने बाबत।

प्रसंग :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग, नई दिल्ली का ई–मेल दिनांक 15.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक ई–मेल एवं पत्रों के क्रम मे लेख है कि अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 के नूतन/नवीनीकरण प्रस्ताव विद्यालय स्तर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की अंतिम दिनांक मे अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निम्न संशोधन किया गया है :–

क्रस	विवरण	निर्धारित अंतिम दिनांक
1	विद्यालय स्तर से स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की अंतिम दिनांक	25 नवम्बर 2017
2	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की अंतिम दिनांक	30 नवम्बर 2017

उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर उक्त ऑप्शन बन्द कर दिए जाएगें। स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की जिम्मेवारी संस्था प्रधान के साथ–साथ जिला शिक्षा अधिकारी की भी है। अतः अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानो को उक्त कार्य निर्धारित समयावधी मे करने हेतु पाबन्द करे एवं अपने स्तर पर भी वेरीफिकेशन का कार्य समयावधी मे करे। इसी क्रम मे अल्पसंख्यक मामलात विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर आ रही विद्यालय स्तर की सभी प्रकार की समस्या हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एनएसपी हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर विद्यालय स्तर पर आ रही समस्याओं का निस्तारण करवाकर स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन का कार्य निर्धारित समय पर सम्पन्न करावे। इस हेतु हेल्पडेस्क की ई–मेल आई–डी helpdesk@nsp.gov.in पर ई–मेल भिजवा कर भी समस्या का निस्तारण करवाया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 17/11/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जि0शि0अ0 कार्यालयों को उक्त कार्यवाही शीघ्र करने हेतु पाबन्द करे।

(हस्ताक्षर) 17/11/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

E:\Group-B\Minority\Letter Minority.docx